

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 36/2018 प्रार्थना पत्र

शांतिलाल प्रजापत व अन्य

// बनाम //

भगवतीलाल प्रजापत व अन्य

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0का0एक्ट0

निर्णय

दिनांक 11.10.2019

वकील प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के आधार पर पत्रावली सीगे से तलब की गई । वकील प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगणों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-212 रा0का0अधि0 में तकनीकी कमी रह जाने के कारण प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र को विद्धा कर खारिज कराना चाहते हैं। वकील प्रार्थी का आवेदन पत्र विद्धा बाबत स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर विद्धा किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

